न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः–68/2019 (GCMS No. 2019/00214) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. जोगेन्द्र कुमार } पुत्रान वन्शी लाल जाति बैरवा निवासी विजयपुर तहसील व जिला
2. देवेन्द्र कुमार } सवाई माधोपुर।
3. कन्यादेवी पत्नि वन्शी लाल जाति बैरवा निवासी विजयपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रियंका पत्नि कन्हैयालाल जाति बैरवा निवासी लाडपुरा तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर।
2. ग्राम पंचायत रवाजना डूँगर जरिये सरंपच तहसील सवाई माधोपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडैन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण आदेश दिनांक 21.09.2015 ग्राम पंचायत रवाजना डूँगर व निर्णय दिनांक 18.04.2017 उपजिला कलक्टर सवाई माधोपुर अपील संख्या 08/2016 उनवानी जोगेन्द्रकुमार बनाम प्रियंका बगै.

उपस्थितिः–

1. श्री शशि बंसल, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट संख्या 3

नि र्ण य दिनांक : 19.06.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत नामान्तकरण आदेश दिनांक 21.09.2015 एवं उपजिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

18.04.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजीयात वांके ग्राम विजयपुर में स्थित है। जो अपीलार्थीगण सं. 1 व 2 के बाबा व अपीलार्थी संख्या 3 के ससुर मूल्या के खातेदारी की आराजीयात है। मूल्या के मरने के बाद उसके पुत्र बन्शी के नाम नामान्तकरण खोला जाना चाहिए परन्तु रेवेन्यू अधिकारियों के द्वारा हर वर्ष कैम्प लगने के बाद भी नहीं खोला गया। बन्शी फोत हो गया, तब नामान्तकरण उसके वारिसान पत्नि कन्या, जोगेन्द्र, गिरिजाशंकर व देवेन्द्र पुत्रान के नाम खोला जाना चाहिए, लेकिन ग्राम पंचायत ने बराये बदयान्ती प्रियंका के गिरीजाशंकर के जीवनकाल में ही कन्हैया से शादी कर ली तथा उसके साथ लाडपुरा पत्नि बनकर रहने लग गई। इस प्रकार गिरीजा शंकर के जीवनकाल में ही कन्हैया के यहॉ पत्नि बन गई, तो गिरीजा शंकर के जमीनों से कोई हित निहित नहीं रहा। प्रियंका को एक जगह ही जमीनों में हिस्सा मिलेगा जो कन्हैया की जमीनों में मिल रहा है। उसके सन्तान भी कन्हैया से ही उत्पन्न हुई है। इस तथ्य को माननीय अदालतों ने नहीं देखकर गलत तरीके से गिरीजाशंकर का वारिस मानकर दिनांक 21.09.2015 एवं दिनांक 18.04.2017 को विधि विरूद्ध आदेश पारित किये हैं, जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थिति। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजीयात वांके ग्राम विजयपुर में स्थित है। जो अपीलार्थीगण सं. 1 व 2 के बाबा व अपीलार्थी संख्या 3 के ससुर मूल्या के खातेदारी की आराजीयात है। मूल्या के मरने के बाद उसके पुत्र बन्शी के नाम नामान्तकरण खोला जाना चाहिए परन्तु रेवेन्यू अधिकारियों के द्वारा हर वर्ष कैम्प लगने के बाद भी नहीं खोला गया। बन्शी फोत हो गया तब नामान्तकरण उसके वारिसान पत्नि कन्या, जोगेन्द्र, गिरिजाशंकर व देवेन्द्र पुत्रान के नाम खोला जाना चाहिए लेकिन ग्राम पंचायत ने बराये बदयान्ती प्रियंका के गिरीजाशंकर के जीवनकाल में ही कन्हैया से शादी कर ली तथा उसके साथ लाडपुरा पत्नि बनकर रहने लग गई। लाडपुरा में कन्हैया से नाते प्रथा से शादी कर ली। इस प्रकार गिरीजा शंकर के जीवनकाल में ही कन्हैया के यहॉ पत्नि बन गई तो गिरीजा शंकर के जमीनों से कोई हित निहित नहीं रहा तथा उसका अधिकार कन्हैया की सम्पत्ति में हो गया। इसलिए प्रियंका को एक जगह की जमीन में ही हिस्सा मिलेगा जो कन्हैया की जमीनों में मिल रहा है। गिरीजा शंकर के साथ प्रियंका बहुत कम रही तथा उसके सन्तान भी कन्हैया से ही उत्पन्न हुई है। इस तथ्य को माननीय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अदालतों ने नहीं देखकर गलत तरीके से गिरीजा शंकर की वारिस मानकर अदालत मातहत ग्राम पंचायत ने सरपंच से अपीलार्थीगण की अदावट होने से नुकसान पहुॅचाने के लिए आदेश पारित किया है। अदालत मातहत के समक्ष ग्राम पंचायत रवाजना डूॅगर का प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें प्रियंका का लाडपुरा में कन्हैया की पत्नि होना बतलाया है तथा वोटर लिस्ट लाडपुरा में प्रियंका को कन्हैया की पत्नि बतलाया है। वोटर लिस्ट पेश की है। भामाशाह कार्ड इत्यादि पेश किया है जिसमें परिवार का पूरा विवरण कन्हैया के साथ है। उक्त दस्तावेज को नहीं मानकर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी की ओर से कई शपथ पत्र पेश किये लेकिन उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। उक्त नामान्तकरण तस्दीक करते समय अपीलार्थीगण को नोटिस देकर सुना जाना आवश्यक है। विना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार को एक प्रार्थना पत्र नामान्तकरण खुलने से पूर्व ही प्रियंका के नाते चले जाने व उसके नाम नामान्तकरण न खोलने के संबंध में प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 05.01.2015 को नोटिस भेजकर अपीलार्थीगण को दिनांक 30.01.2015 को अपनी साक्ष्य पेश होने बावत जारी किया जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा गिरीजाशंकर की मृत्यु से पूर्व ही कन्हैया के यहॉ नाते चले जाने व शादी कर लेने संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत कर दी, लेकिन पटवारी हल्का को इसकी जानकारी होते हुये तहसीलदार के यहॉ कार्यवाही चलने के दौरान ही नामान्तकरण प्रियंका का भरकर ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा दिया जो लालचवश है। प्रियंका को लाभ पहुॅचाने व अपीलार्थीगण को परेशान करने के लिए किया गया है। अतः आदेश हर दो अदालत निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थीगण के नाम गिरीजाशंकर की हिस्से की जमीन का नामान्तकरण खोलने के आदेश किये जावें।

3. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह है कि मृतक गिरिजाशंकर के जीवनकाल में ही उसकी पत्नी रेस्पो. संख्या 1 ने कन्हैया से शादी कर ली तथा उसके साथ पत्नी बनकर लाडपुरा में रहने लगी,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

जिसके कारण गिरिजाशंकर की आराजी से उसका कोई हित नहीं रहा। अपीलान्ट ने अपने तर्कों के समर्थन में न तो मृतक गिरिजाशंकर का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया और न ही कन्हैया से विवाह बावत् विवाह प्रमाण पत्र पेश किया, जिससे गिरिजाशंकर की मृत्यु की दिनांक एवं रेस्पो. सं. 1 के कन्हैया के साथ विवाह की दिनांक न्यायालय के समक्ष आ सके। वैसे भी जीवित पति/पत्नी के रहते दूसरा विवाह विधिमान्य नहीं रहता। विवादित आराजी बावत् गिरिजाशंकर की मृत्यु पर उसकी पत्नी प्रियंका का नाम विरासतन दर्ज हुआ है। जिसमें ग्राम पंचायत रवाजना डूँगर द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः न्यायालय के मत में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट खरिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.09.2016 एवं दिनांक 18.04.2017 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/06/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर